© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 01 | January – March 2017

तीन तलाक एक विवेचन : महिला सशक्तिकरण की दिशा मे बढ़ता कदम

Mrs. Priyanka Bhatt, Research Scholar, Mewar University, Chittorgarh, Rajasthan

परिचय

22 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सायरा बानो के केस में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम समाज की महिलाओं को उनका जायज हक प्रदान करने के लिए समाज मे प्रचलित तीन तलाक की प्रथा को संवैधानिक करार देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त सन्देश दिया है।

विशेषकर भारतीय मुस्लिम समाज मे तीन तलाक का दण्ड भोगने वाली महिलाओं की दुर्दशा और उनके दर्द का अनुमान लगा पाना आसान नहीं है। विष्व के अनेक इस्लामी देश जिसमें सऊदी अरब, मलेशिया अफगानिस्तान अलबेरिया अलगेरिया बांग्लादेश ईरान ईराक कुवेत पाकिस्तान तुर्की मिश्र आदि देषों मे तीन तलाक बहुत पहले से ही अवैध करार दिया जा चुका है। और इन देषों की महिलाएँ इस कुढ़तम प्रथा से मुक्ति पा चुकी है। जबकि भारत जैसे धर्म –निरपेक्ष व प्रजातान्त्रिक देश की मुस्लिम महिलाओं को लम्बे समय तक इस लाचारी व प्रताड़ना से जुझना पड़ा इस सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में यह विवाह विच्छेद के विषय में जहां संविधान में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाने का अधिकार प्रदत्त है। वही आजादी के सत्तर वर्शो बाद भी मुक्त होने को अभिषप्त है। एक मुस्लिम महिला को इस अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी कुछ मोलवियों व धर्म गुरू इस फैसले से असहमत है। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते है तो हिन्दू समाज में भी सती प्रथा बाल विवाह जैसी कुप्रथा थी जिसे राजाराम मोहनराय ने समाप्त करने की पहल की और सरकार को भी कानून बनाना पडा। पाकिस्तान ने 1961 में व बांग्लादेश मे अपने उदय के बाद तीन तलाक को तलाक बोल दिया। इस प्रथा की खातमे की पहल करने वाला मिश्र पहला देश था। तुर्की, ईरान, अल्जिरिया, मलेशिया, ट्यूनिशिया सहित 22 देशों मे इस पर मूमानियत लागू हैं। भारत में देर से ही सही पर सटीक फैसला हुआ है और यह कहा जा सकता है कि शायरा, अतिया वतिया सहित मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का कारवां रूकने वाला नही हैं।

इस दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम है। जो भविष्य में मुस्लिम महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

तीन तलाक एव शरियत कानून

दरअसल खुद इस्लाम के पाक व इंसाफी नजरिये में आदमी औरत बराबर है। और सब मामलो में शरीयत कानून की मान्यता है तो फिर एक झटके में तीन तलाक बोलकर उसका मखौल कैसे उड़ाया जा सकता है। इसी कुप्रथा के अंतर्गत एक और कुप्रथा का ज़िक्र आता है जिसका नाम है हलाला जिसमें तलाक के पश्चात् मुस्लिम पुरूष उसी महिला को यदि दुबारा पाने की चाहत रखता है तो शरीयत के कानून की दुहाई देकर उसे दूसरे मर्द के साथ निकाह के लिए मजबुर किया जाता है। जो ओर भी अत्यधिक गम्भीर प्रश्न है जो सरासर भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल– अधिकारों का उल्लंघन है जब निकाह के समय में शौहर व बीवी के बीच रजामन्दी की जरूरत होती है तो फिर तलाक के वक्त क्यों नहीं। शरीयत कानून के तहत एक मुस्लिम पुरूष को चार विवाह की इजाज़त देता है वही तीन तलाक हलाला इत्यादि मान्यताओं को सर्मपण देता है। तलाक और हलाला की प्रथा मुस्लिम समाज की औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ है।

मुस्लिम देष में तीन तलाक के प्रावधान

तीन तलाक एक ऐसी प्रथा है जिसमें मुस्लिम पुरूष अपनी पत्नी को तीन बार तलाक शब्द बोलकर, लिखकर या किसी भी माध्यम से भेजकर अपनी पत्नी से विवाह–विच्छेद कर लेता है इस्लाम में पहला तलाक अल–सुन्नाम, जिसे पैगम्बर मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक तथा दूसरा तलाक अलबिद्दत से ईजाद किया गया है कुरान में सीधे तौर पर तीन तलाक का कोई जिक्र या पैगम्बर मोहम्मद के कथन का कोई जिक्र नहीं होने से यह कहा जा सकता है कि कुरान में सिर्फ एक बार तलाक बोलने से ही तलाक होने का जिक्र है जिसके तहत विवाह को रद्द किया जा सकता है।